

वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में (MOU)

परियोजना का नाम:— माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में सिमली-बेनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण।

उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तानान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है। तथा मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने पर हस्तानान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। ग्राम लाल नगरी में खसरा न० 69 मध्ये रकवा 14.20 है० तथा ग्राम सिलंगी खसरा संख्या 690 मध्ये रकवा 1.024 है० एवं 691 मध्ये 4.000 है० कुल 5.024 है० क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है। अतः उपरोक्त स्थल देने हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

25.09.21

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.

कर्णप्रयाग
1.E.

21

उपजिलाधिकारी
चमोली जिला अधिकारी
कर्णप्रयाग

25/9/21
TMR(K)

तहसीलदार
कर्णप्रयाग